भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4658

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

4658. श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्रीमती जसकौर मीना:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र, राजस्थान और असम सहित देश भर में इसके अंतर्गत स्वीकृत, आंबटित तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत कितने राज्यों को कवर किया गया है तथा असम में कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत असम के सभी जिलों को कब तक शामिल किया जाएगा तथा और जागरुकता का सृजन करने एवं डिजीटलीकृत गांवों में डिजीटल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ड़) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान मे दौसा जिले के सुदूर गांवों को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में आई.टी. पार्क की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन,डिजिटल सशक्तिकरण,डिजिटल विभाजन को पाटने को सुनिश्चित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तीन प्रमुख विजन क्षेत्रों अर्थात् डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता, डिमांड पर शासन और सेवाओं और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए एक मुख्य उपयोगिता के रूप में है। डिजिटल इंडिया एक छत्र कार्यक्रम है जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कई परियोजनाओं को कवर करता है। प्रत्येक परियोजना की अपनी बजटीय आवश्यकता होती है और तदनुसार परियोजना-योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय/विभागों द्वारा किया जाता है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बजट विवरण बनाए रखा जाता है। हालाँकि, पिछले 3 वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा आवंटित और उपयोग किया गया बजट इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटित (करोड़ रु. में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)
2017-18	1425.63	1451.59
2018-19	3352.81	3328.54
2019-20	3212.52	3191.09

(ख) डिजिटल इंडिया एक छत्र कार्यक्रम है जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कई परियोजनाओं को कवर करता है। देश भर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:-

- **आधार** : आधार 12 अंकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय आधारित पहचान प्रदान करता है जो विशिष्ट, आजीवन, ऑनलाइन और प्रामाणिक है। इसके अलावा, आधार को वैधानिक समर्थन देने के लिए 26 मार्च 2016 को 'आधार (वित्तीय और

अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया था । 128 करोड़ से अधिक निवासियों को नामांकन किया गया है।

- **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** : कॉमन सर्विसेज सेंटर सेवा (सरकार से नागरिक और व्यापार से नागरिक) सेवा प्रदायगी हैं । अब तक, ग्राम पंचायत स्तरों पर 3.73 लाख सीएससी सहित 2.78 लाख सामान्य सेवा केंद्र प्रचालनात्मक है ।
- **डिजिटल विलेज**: एमईआईटीवाई ने अक्टूबर, 2018 में 'डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट' भी शुरू किया है। इस परियोजना के तहत 700 ग्राम पंचायतें (जीपीएस)/गांव जिसमें कम से कम प्रति जिले/राज्य संघ राज्य क्षेत्र एक ग्राम ग्राम पंचायत है, को इस परियोजना के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। दी जा रही डिजिटल सेवाओं में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, वित्तीय सेवा, कौशल विकास, सरकार द्वारा नागरिक सेवाएं (जे2सी), व्यापार से नागरिक (बी2सी) सेवाएं सहित सोलर पैनल संचालित स्ट्रीट लाइट हैं।
- **डिजिटल लॉकर**: डिजिटल लॉकर जारीकर्ताओं को डिजिटल रिपॉजिटरी में दस्तावेज अपलोड करने के लिए रिपॉजिटरी और गेटवे के संग्रह के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। डिजीलॉकर के अब तक 5.8 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता को 427 करोड़ प्रामाणिक दस्तावेज जारी किए गए हैं । 978 जारीकर्ता और 157 अनुरोधकर्ता संगठन ऑन-बोर्ड किए गए हैं।
- **ईजिला एमएमपी का राष्ट्रीय कार्यान्वयन**: ईजिला एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है जिसका उद्देश्य जिला या उप जिला स्तर पर पहचान उच्च मात्रा नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है । 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 705 जिलों में कुल 3,870 ई-जिला सेवाएं शुरू की गई हैं।
- **ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफ़ॉर्म**: ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफ़ॉर्म भारत सरकार की ओपन डेटा पहल का समर्थन करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने का इरादा रखता है और विभिन्न दृष्टिकोणों को देने के लिए सरकारी डेटा के कई और नवीन उपयोगों के लिए रास्ते भी खोलता है। वर्तमान में, 175 मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 10,040 कैटलॉग के तहत 479,961 संसाधन प्रकाशित है।
- **ई अस्पताल/ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस):** ई अस्पताल के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) में नए रोगियों द्वारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और पंजीकरण, प्रयोगशाला रिपोर्ट देखना, रक्त की उपलब्धता की स्थिति की जांच करना और भुगतान गेटवे (पे गव) के साथ एकीकरण शामिल है । अब तक, ओआरएस के माध्यम से 272+ अस्पतालों में 38.06 लाख ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की गई हैं।
- **एनसीओजी- जीआईएस अनुप्रयोग:** नेशनल सेंटर ऑफ जियो- इंफॉर्मेटिक्स (एनसीओजीजी) परियोजना, विभागों के लिए साझाकरण, सहयोग, स्थान आधारित विश्लेषिकी और निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए विकसित एक जीआईएस मंच है। अब तक, विभिन्न डोमेन में 516 अनुप्रयोग चालू हैं।
- **नए युग शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग)**: उमंग को प्रमुख सरकारी सेवाओं को वितरित करने के लिए एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है । 234 विभागों (केंद्रीय और राज्यों) से लगभग 20689 सेवाएं पहले से ही उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
- **माई गव** : माई गव भारत में भागीदारी प्रशासन के लिए अपनी तरह का पहला नागरिक इनगेजमेंट मंच है। माईगव का उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना है, नागरिकों को सरकार के करीब लाना और सरकार को उन नागरिकों के करीब लाना है जो इस मंच के माध्यम से कार्य करते हैं। वर्तमान में, माईगव के साथ 1.70 करोड़ से अधिक प्रयोक्ता पंजीकृत हैं , जो माईगव मंच पर होस्ट की गई विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं ।
- **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** एनकेएन का उद्देश्य संसाधनों और सहयोगात्मक अनुसंधान को साझा करने के लिए उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को आपस में जोड़ना है। एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान को इंटरकनेक्ट किया जा सके। संस्थानों के लिए 1747 लिंक चालू और प्रचालनात्मक बनाये गए हैं। 516 एनकेएन लिंक पूरे भारत में एनआईसी जिला केंद्रों से जुड़े हैं।
- **जीवन प्रमाण** : पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जीवन योजना जिसे जीवन प्रमाण के रूप में जाना जाता है , जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की परिकल्पना करती है। इस पहल के साथ, पेंशनभोगी को शारीरिक रूप से खुद को या खुद को वितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकरण के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है । 2014 से 4.51 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र संसाधित किए गए हैं।
- **प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करते हुए ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए " प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। अब तक, 3.65 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और इसमें से 2.67 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है ।यह योजना देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है ।
- **बीपीओ प्रमोशन स्कीम**: भारत बीपीओ प्रमोशन स्कीम (आईबीपीएस) और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम (एनईबीपीएस) डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पहल है जो देश भर के छोटे शहरों में बीपीओ/आईटीईएस ऑपरेशन स्थापित करके देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन कर रहे हैं। आईबीपीएस योजना के तहत, 48,300 सीटों के लक्ष्य के सापेक्ष देश भर में बीपीओ/आईटीईएस संचालन की स्थापना के लिए कुल पात्र बोलीदाताओं को 57,697 सीटें आवंटित की गईं। एनईबीपीएस योजना के तहत, कुल 3511 सीटों को पात्र बोलीदाताओं को 5000 सीटों के लक्ष्य के सापेक्ष उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एंई आर) में बीपीओ/आईटीईएस संचालन सेटअप करने के लिए आवंटित किया गया था ।
- **भारतनेट** : भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड क्रांति को गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह परियोजना दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारतनेट का लक्ष्य देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ना और सभी

ग्राम पंचायतों (जीपी) को 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अब तक, कुल 1,51,431 ग्राम पंचायतों (ब्लॉक मुख्यालय सहित) को सर्विस रेडी किया गया है।

➢ **इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण**

- संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एम एसआईपी): दिनांक 5 फरवरी, 2021, को लगभग 81,085 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 294 आवेदन पत्र मंजूर किए गए हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी): इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के तहत, देशभर के 15 राज्यों में 19 ग्रीनफील्ड ईएमसीएस और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसीएस) जिसका क्षेत्र 3,464 एकड़ है और 1,527 करोड़ रुपये की सरकारी अनुदान सहायता सहित 3,743 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ मंजूरी दी गई है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रों में लगी 227 कंपनियों ने 35,641 करोड़ रु के अनुमानित निवेश के साथ इन ईएमसी में अपनी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थान बुक किया है।

(ग) और (घ) : ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पहले ही सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ असम राज्य सम्मिलित है। विभिन्न योजनाएं/ परियोजनाएं असम राज्य के सभी नागरिकों में जागरूकता सृजन तथा डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने हेतु डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत संचालित कि जा रही हैँ कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्ती अभियान (पीएमजीदिशा**): एम्ईआईटीवाई ने 6 करोड़ ग्रामीण घरों (प्रति व्यक्ति एक परिवार) को कवर करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक योजना को लागू कर रहा है। अब तक, 3.65 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और इसमें से 2.67 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। यह योजना देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।
- **कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी**): सामान्य सेवा केंद्र (गवर्नमेंट टू सिटिजन एंड बिजनेस टू सिटिजन) सर्विस हैं डिलीवरी सेंटर सामान्य सेवा केंद्र स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित इंटरनेट सक्षम केंद्र हैं, जिन्हें ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) कहा जाता है और ग्रामीण नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान करते हैं। अभी तक, 3.73 लाख सामान्य सेवा केंद्र संचालित हैँ जिसमें, ग्राम पंचायत स्तर पर 2.78 लाख सीएससी हैँ असम राज्य के 33 जिलों में कुल 5,842 सी एस सी केंद्र संचालित हैँ उनमें से ग्राम पंचायत स्तर पर 5,018 सी एस सी है।
- **डिजिटल विलेज**: एम्ईआईटीवाई ने अक्टूबर, 2018 में 'डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट' भी शुरू किया है। इस परियोजना के तहत 700 ग्राम पंचायत (जीपीएस)/विलेज जिसमें कम से कम एक ग्राम पंचायत/ग्राम प्रति जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल हैं। प्रदान की जा रही डिजिटल सेवाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन हैं जिनमें सरकार से लेकर नागरिक सेवाएं (जी2सी), बिजनेस टू सिटीजन (बी2सी) सेवाएं शामिल हैं।
- **ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी):** ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला और उप-जिला स्तरों पर लागू किया गया है, जो विभिन्न ई-सेवाओं जैसे प्रमाण पत्र (जन्म, जाति, मृत्यु, आय और स्थानीय निवासी), पेंशन (वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा), निर्वाचक मंडल, उपभोक्ता न्यायालय, राजस्व न्यायालय, विभिन्न विभागों जैसे वाणिज्यिक कर, कृषि, श्रम, रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास आदि का रिकॉर्ड और सेवाएँ ई-डिस्ट्रिक्टको वितरित करके सभी नागरिकों को लाभान्वित करता है।

(ङ) : डिजिटल भारत के अंतर्गत राजस्थान राज्य के साथ-साथ सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्र पहले ही सम्मिलित हैँ जिला दौसा के साथ-साथ राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत कुछ योजनाएं/परियोजनाएं जैसे सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), ई-जिला मिशन मोड परियोजना, डिजिटल ग्राम, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) इत्यादि कार्यान्वित की जा रही है।

(च): वर्तमान में, 6 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्रों को पहले ही महाराष्ट्र, कोलाहपुर, नागपुर, नासिक, मुंबई तथा पुणे में शुरू किया है।

****